



2026:AHC:43169

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट-सी संख्या-7593 सन् 2026

श्रीमती भोला कुमारी @ रेखा सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

..... प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: अभिषेक कुमार सरोज, करिश्मा
निगम

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी

कोर्ट संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. याची/याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. प्रस्तावित आदेश के परिप्रेक्ष्य में, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी कर इस याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी स्वयं को इस आदेश से प्रभावित (व्यथित) अनुभव करता/करती है, तो उसे इस आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।

3. याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि प्रतिवादी संख्या-2/तहसीलदार, तहसील सोरांव, जनपद प्रयागराज को निर्देशित किया जाए कि वाद संख्या-06767 सन् 2016 / T201602030306767 (राजेश्वरी देवी बनाम चंद्रबली सिंह), जो कि उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के अंतर्गत लंबित है, का शीघ्र निर्णय किया जाए।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का निवेदन है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र लम्बे समय से

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लंबित है। इस स्तर पर नियम 34 के उप-नियम (7) का उल्लेख करना उपयुक्त होगा, जो यह अनिवार्य करता है कि ऐसे आवेदन पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा समयबद्ध अवधि में विधि के अनुसार निर्णय किया जाए। नियम 34(7) इस प्रकार है—

"(7) तहसीलदार अविवादित नामांतरण वाद का निस्तारण पंजीकरण की तिथि से 45 दिवस की अवधि के भीतर करने का प्रयास करेगा तथा विवादित नामांतरण वाद का निस्तारण 90 दिवस की अवधि के भीतर करेगा, और यदि उक्त अवधि में कार्यवाही पूर्ण नहीं होती है, तो उसके कारण अभिलेखित किए जाएंगे।"

5. उपर्युक्त प्रावधान तथा पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आलोक में, प्रतिवादी संख्या-2/तहसीलदार, तहसील सोरांव, जनपद प्रयागराज को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त प्रकरण/आवेदन को ग्रहण कर, विधि के अनुसार अपने गुण-दोष के आधार पर, यथाशीघ्र एवं अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना (जब तक कोई विधिक बाधा न हो) निस्तारित करें।

6. उपर्युक्त टिप्पणियों/अवलोकनों के साथ यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया गया है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

25 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।